1460(H)

संख्या:- /I/2006-05/02/04

प्रेषक,—

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग, देहरादून: दिनांक 28 मार्च, 2006

विषय:— वित्तीय वर्ष 2005—06 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नोडल ऐजेन्सी तथा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समितियां गठित करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 459/I/2006-05/03/04, दिनांक 22.03.2006 के क्रम में सभी परिवारों के विद्युतीकरण किये जाने के लक्ष्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की बदली हुई परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में तथा सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का विकासखण्डवार/जनपद पर सूचनाओं का संकलन करने हेतु अनुदान के रुप में रु0 47,000.00 (रु0 सैतालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

2— प्रत्येक अनुदान आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

3— स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2006 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अप्रयुक्त रहती है तो उसे शासन को उक्त तिथि तक समर्पित कर दिया जायेगा।

4— आवंटित धनराशि को किसी ऐसी मद जिसके लिये फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, बजट मैनुअल तथा स्टोर पर्चेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो तदानुसार स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय और व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। व्यय आवंटित बजट प्राविधान के अनुसार ही किया जाय।

6— जनपदवार व्यय आवंटित सीमा तक ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी स्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसका वित्त पोषण शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

7— स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2005—06 के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801—बिजली—06—ग्रामीण विद्युतीकरण—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—05—ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण—00—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 806/XXVII(2)/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

C:\Documents and Settings\...

१५८०७)

संख्याः A /1/2006-05/02/04, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– कोषाधिकारी, अल्मोड़ा / रुद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार, उत्तरांचल।
5– वित्त अनुभाग–2
6– सचिव, नियोजन विभाग।
7– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
9– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव